परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः–

**निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः**– द्वितीय वृत्त, मेरठ **परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः**–19.02.2015

| **क्रमांक** | **आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0** | **शिकायत का विषय** | **यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि** | **निस्तारण हेतु दिया गया समय–( तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)** | **कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति** | **टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महाराज अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी (रजि0), 119, बाग मटियारी, जी0टी0 रोड, पालिका बाजार के पास गाजियाबाद (उ0 प्र0), मो0 नं0–9810046733 | अनिर्माण शुल्क माफ करने व निर्माण समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग, गाज़ियाबाद के पत्रांक 7303/ स0प्र0 गाजि0 दिनांक 15.9.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर मुख्यालय स्तर से लिया जाना है। | |
| 2 | श्री भीकम सिंह राणा, हरबंश विहार, सराय काजी, गढ़ रोड मेरठ, मो0 नं0 9368043245 | ब्याज सहित प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 मेरठ के पत्रांक 427/ जी–19/ 23 दिनांक 23.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि करार नियमावली–1999 के प्राविधानों के अनुसार मूल काश्तकारों से किये गये करार–पत्र में स्पष्ट अंकित है कि काश्तकारों द्वारा निर्धारित प्रतिकर दर के अतिरिक्त किसी ब्याज आदि की मांग नहीं की जायेगी। अतः करार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ब्याज की देयता नहीं बनती। यदि आप मूल प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के लिये सहमत हैं तो अपनी सहमति देने का कष्ट करें व साथ ही मूल काश्तकार से प्रतिकर की धनराशि आपको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदानुसार कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) कार्यालय, मेरठ को संस्तुति प्रेषित की जा सके। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 3 | श्री डी0पी0 सिंह, डी–44 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0 09412782622 | ए–ब्लाक शास्त्रीनगर योजना संख्या–3 मेरठ हेतु जन सुविधा की स्थिति एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, मेरठ के पत्रांक 564/जी–15/ 63 दिनांक 5.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि शास्त्री नगर यो0सं0–3, मेरठ की समस्त बाहीय सेवायें यथाः– सड़कें, सीवर, पार्क, नालियॉ आदि काफी समय पूर्व नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। अतः सड़कों/ पार्कों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का दायित्व नगर निगम मेरठ का है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम मेरठ द्वारा ही की जानी है। | निस्तारित |
| 4 | श्रीमती कौशल देवी पत्नी श्री अरूण कुमार, ग्राम चिरौड़ी, डा0 दौराला, जिला मेरठ, मो0 नं0–8859351451 | ग्राम सरायकाजी के खसरा संख्या–196–197 में स्थित आवासीय भूखण्ड की मिलकियत एवं मुआवजे के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 823/ वाई–17/ 76 दिनांक 13.4.15 द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि आप तहसील कार्यालय से भूमि का सीमांकन/ कुर्रेबन्दी कराते हुए अपनी भूमि की स्थिति स्पष्ट कराते हुए सूचित करें। आपके द्वारा दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है। | निस्तारित |
| 5 | श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री धर्मपाल सिंह, ग्राम सादपुर, डा0 जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, मो0 नं0–8859351451 | ग्राम सरायकाजी के खसरा संख्या–196–197 में स्थित आवासीय भूखण्ड की मिलकियत एवं मुआवजे के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 823/ वाई–17/ 76 दिनांक 13.4.15 द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि आप तहसील कार्यालय से भूमि | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | का सीमांकन/ कुर्रेबन्दी कराते हुए अपनी भूमि की स्थिति स्पष्ट कराते हुए सूचित करें। आपके द्वारा दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है। | |
| 6 | श्री परमानन्द शर्मा, 44/16 अजन्ता कालोनी, मेरठ, मो0 नं0–9045486208 | जागृति विहार योजना संख्या–11 मेरठ में स्थित ग्राम कमालपुर के खसरा संख्या–47 व 48 के प्रतिकर ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 मेरठ के पत्रांक 427/ जी–19/ 23 दिनांक 23.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि करार नियमावली–1999 के प्राविधानों के अनुसार मूल काश्तकारों से किये गये करार–पत्र में स्पष्ट अंकित है कि काश्तकारों द्वारा निर्धारित प्रतिकर दर के अतिरिक्त किसी ब्याज आदि की मांग नहीं की जायेगी। अतः करार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ब्याज की देयता नहीं बनती। यदि आप मूल प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के लिये सहमत हैं तो अपनी सहमति देने का कष्ट करें व साथ ही मूल काश्तकार से प्रतिकर की धनराशि आपको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदानुसार कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) कार्यालय, मेरठ को संस्तुति प्रेषित की जा सके। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | निस्तारित |
| 7 | श्री शशि मोहन, ग्राम तारापुर, तहसील मवाना जिला मेरठ, मो0 नं0–9012019866 | जागृति विहार योजना संख्या–11 मेरठ में स्थित ग्राम कमालपुर के खसरा संख्या 47 व 48 के प्रतिकर ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 मेरठ के पत्रांक 427/ जी–19/ 23 दिनांक 23.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि करार नियमावली–1999 के | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्राविधानों के अनुसार मूल काश्तकारों से किये गये करार–पत्र में स्पष्ट अंकित है कि काश्तकारों द्वारा निर्धारित प्रतिकर दर के अतिरिक्त किसी ब्याज आदि की मांग नहीं की जायेगी। अतः करार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ब्याज की देयता नहीं बनती। यदि आप मूल प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के लिये सहमत हैं तो अपनी सहमति देने का कष्ट करें व साथ ही मूल काश्तकार से प्रतिकर की धनराशि आपको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदानुसार कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) कार्यालय, मेरठ को संस्तुति प्रेषित की जा सके। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 8 | श्री शीश पाल, ग्राम कमालपुर, बौद्ध विहार, गढ़ रोड, मेरठ, मो0 नं0–9927986108 | जागृति विहार योजना संख्या–11 मेरठ में स्थित ग्राम कमालपुर के खसरा संख्या 47 व 48 के प्रतिकर ब्याज सहित भुगतान के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 मेरठ के पत्रांक 427/जी–19/23 दिनांक 23.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि करार नियमावली–1999 के प्राविधानों के अनुसार मूल काश्तकारों से किये गये करार–पत्र में स्पष्ट अंकित है कि काश्तकारों द्वारा निर्धारित प्रतिकर दर के अतिरिक्त किसी ब्याज आदि की मांग नहीं की जायेगी। अतः करार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ब्याज की देयता नहीं बनती। यदि आप मूल प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के लिये सहमत हैं तो अपनी | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सहमति देने का कष्ट करें व साथ ही मूल काश्तकार से प्रतिकर की धनराशि आपको भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें, ताकि तदानुसार कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) कार्यालय, मेरठ को संस्तुति प्रेषित की जा सके। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 9 | श्री मदल पाल शर्मा, 13/1159, वसुन्धरा गाजियाबाद, मो0 नं0 09650880484 | आवास संख्या–13/1159 में अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | परिषद दिवस दिनांक 21.1.16 में सप्तम वृत्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसारः–<br>भवन संख्या–13/1159 के आवंटी श्री मदन पाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण के शमन हेतु वांछित शुल्क जमा करा दिया गया है। निर्माण खण्ड–01 के पत्रांक 506/ अनाधिकृत दिनांक 23.4.15 द्वारा आवंटी को अशमनीय निर्माण हटाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। | |
| 10 | श्री वीर सिंह, 429/9 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0–9457047056 | जागृति विहार योजना संख्या–6 में स्थित खसरा संख्या–538/1 के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, मेरठ के पत्रांक 93/जी–15/ 13 दिनांक 20.01.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि खसरा सं0–538/1 का कुल रकबा 1–2–0 बीघा था, जिसमें से रकबा 0–18–12 बीघा (2813.25 वर्ग गज) का कब्जा एस0एल0ओ0 द्वारा परिषद को दिनांक 23.12.1983 को दिया गया। अवशेष क्षेत्रफल 0–3–8 बीघा का कब्जा परिषद को प्राप्त नहीं है। कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल में मा0 न्यायालय में कब्जे/इकरार | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नामे के आधार पर वाद विचाराधीन है।<br>इस प्रकार परिषद को कब्जा प्राप्त भूमि में से कुल 906.00 वर्ग गज भूमि न्यायालयमें विवादित है। शेष भूमि का परिषद द्वारा अपनी योजना में समायोजन किया जा चुका है। उक्त वादों के निस्तारण उपरान्त परिषद द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार परिषद दिवस में प्राप्त शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 11 | श्री गौरव गुप्ता, 11 एफ, विकास एन्कलेव, रोहटा रोड मेरठ मो0 नं0 09837885110 | मण्डोला विहार योजना में फ्लैट संख्या–ए–170/22 के स्थान पर ए–170/4 आवंटन के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514/ जी–75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके। | |
| 12 | श्री श्रीपाल सिंह, 331 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0 9359065992 | उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आबादी दर्ज खसरा संख्या–207/2, 308/2 सरायकाजी की भूमि को अविधिक रूप से जबरन अधिग्रहण दर्शाकर भूमि कब्जाने के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 438/जी–19/25 दिनांक 24.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि वर्तमान में इन खसरों की भूमि राजस्व अभिलेखों में परिषद के नाम दर्ज है। इन खसरों के भू–स्वामियों द्वारा यदि कोई विक्रय–पत्र आदि परिषद से करार करने के पूर्व आपके पक्ष में निष्पादित किया गया है तो आप करार नियमावली–1999 के | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | प्राविधानों के अनुसार मूल भू–स्वामियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में वाद योजित कर कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। इन खसरों की भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 13 | श्री श्रीपाल सिंह, 331 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0 9359065992 | बिना किसी स्वीकृति एवं अनुमोदन के अर्जन हेतु भूमि का गजट में प्रकाशन। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 440/जी–19/ 26 दिनांक 24.2.15 द्वारा सूचित किया गया है कि जागृति विहार यो0सं0–11, मेरठ में समाविष्ट खसरा सं0–62 की भूमि परिषद अधिनियम–1965 की धारा–28 के अन्तर्गत नोटिफाईड की गयी थी तथा अभिलेखों के अनुसार खसरा सं0–62 के मूल काश्तकार श्री बाबूराम निवासी सरायकाजी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। तदानुसार योजना की धारा–32 की स्वीकृति उ0 प्र0 सरकार के आदेश सं0–124/ आठ–2–2007–05 एच0बी0/ 2005 दिनांक 24 जनवरी, 2007 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसमें खसरा सं0–62 ग्राम सरायकाजी की 0.1520 है0 भूमि सम्मिलित है। उक्त खसरे की भूमि का करार करार नियमावली–1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रमशः वर्ष 2008 में तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज काश्तकार से किया गया था तथा इस खसरों की भूमि का एवार्ड अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) मेरठ द्वारा घोषित करते हुए दिनांक 12.8.09 को इस खसरों | निस्तारित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | की भूमि का भौतिक कब्जा परिषद को हस्तगत किया जा चुका है। उक्त खसरे की भूमि का अधिग्रहण 24.00 मी0 सड़क हेतु नहीं किया गया है, अपितु योजना के संचालन हेतु किया गया है। वर्तमान में इस खसरे की भूमि का कब्जा परिषद को प्राप्त है तथा आवश्यकतानुसार इस खसरे की भूमि का उपयोग किया जाना नियोजित है। इस खसरे की भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | |
| 14 | श्रीमती बबली सिंह पत्नी श्री श्रीपाल सिंह, 331 सरायकाजी मेरठ। मो0 नं0–9359065992 | उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आबादी दर्ज खसरा संख्या–145/2, 164, 165 व 148 सरायकाजी की भूमि को अविधिक रूप से जबरन अधिग्रहण दर्शाकर भूमि कब्जाने के सम्बन्ध में। | | 15 दिन | अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 424/जी–19 दिनांक 23.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि वर्तमान में इन खसरों की भूमि राजस्व अभिलेखों में परिषद के नाम दर्ज है। इन खसरों के भू–स्वामियों द्वारा यदि कोई विक्रय–पत्र आदि परिषद से करार करने के पूर्व आपके पक्ष में निष्पादित किया गया है तो आप करार नियमावली–1999 के प्राविधानों के अनुसार मूल भू–स्वामियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में वाद योजित कर कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। इन खसरों की भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। तदानुसार आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है। | निस्तारित |